न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/146/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/449

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सुरेश यादव, नि0 ग्राम व पोस्ट–बल्लूवास, तहसील–मुण्डावर जिला–अलवर (राज.)–301407		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.09.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मुण्डावर में कृषि कॉलेज के लिए मांग–पत्र, ज्ञापन संबंधी बिन्दुवार सूचना/दस्तावेजी प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए प्रति जरिये पत्र सं. 2780 दिनांकः 24.11.22 इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 02.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में पत्र दिनांकः 24.11.22 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 02.09.22 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी के प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त सूचना का प्रेषण किया गया है जो कि लगभग 02 माह से भी अधिक समय विलम्ब से किया गया विनिश्चय है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चत करावें।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 28.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)